

जीएसटी में बदलाव खर्चों को कम करेंगे

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर की पोस्ट

नई दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता) केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरों में किये गये बदलाव को अगली पीढ़ी के लिए सुधार बताते हुए इसे गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के मोदी सरकार के मिशन में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है।

सोशल मीडिया 'एक्स' पर की गयी पोस्ट की एक श्रृंखला में, शाह ने कहा कि जीएसटी संरचना में व्यापक बदलाव रोजमर्रा के खर्चों को काफी कम कर देंगे और भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ायेंगे.

कनाडा में आतंकी पन्तू का बॉडीगार्ड गिरफ्तार

ओटावा/नई दिल्ली. कनाडा की पुलिस ने सिस्त्रा फॉर्ज जस्टिस के खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्तू के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया है. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सखा हर और हाल ही में कनाडा के साथ हुई सुरक्षा बातचीत के बाद यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है. भारत की कूटनीतिक सख्ती रंग लाई है. कनाडा की धरती पर खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर लंबे समय से भारत की चिंता अब एक्शन में तब्दील हो गई है.

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, (निशा डामर) इन्दौर (अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक जी-07)	
प्रकरण क्रमांक / 0041 / बी-121 / 25-26	इन्दौर, दिनांक-16 / 9 / 2025
समाचार विज्ञित	
प्रति	
1-मोहम्मद जावेद पिता श्री मोहम्मद साईद 2 श्रीमती मलका बी पति श्री माहम्मद साईद दोनों का पता-प्लेट नंबर 105 और 106, शुभ लाम टावर, ब्लॉक-ई, खजराना, कनाडिया रोड, इंदौर (म.प्र.)	
द्वारा:- पेपर प्रकाशन	
प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड तर्फ प्राधिकृत अधिकारी, शाखा का पता:- यूनिट नंबर 605-606, ऐरन हाईट्स, छठी मंजिल, प्लाट नंबर 13, विजयनगर, इंदौर, म०प्र० 452010 द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति आवासीय प्रकोष्ठ क्रमांक 101, प्रथम मंजिल, स्थित भूखण्ड क्रमांक 326, पर निर्मित बहुमंजिला भवन, सावित्री रिजेन्सी ब्लॉक-ए, सर्व सम्पन्न नगर, गिचौली इन्वो, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.) कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट सम्पत्ति के दस्तावेज:- मोहम्मद जावेद पिता श्री मोहम्मद साईद के नाम है। -चटुसीमा- पूर्व में-सड़क, पश्चिम में-कौमन पैसेज व चढ़ाव, उत्तर में-सड़क, दक्षिण में:- प्रकोष्ठ क्रमांक-102 पर बकाया ऋण राशि 18,82,225 /- (अक्षरी रुपये अठ्ठाठह लाख, बयालीस हजार, दो सौ पच्चीस केसल) का चुकाया आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।	
अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष जी-07 में दिनांक 23 / 09 / 2025 दोपहर 04:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।	
अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर	

In The Court of I Civil Judge Class-I, Civil Court Rajpur, District Barwani MP
Presiding Officer : हिरालाल सिसोदिया
(आदेश 5 निमन 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(UNCRC /0000003/2024)

संतोष जायसवाल.....पिछावी Vs
मौ शाहद पब्लिक स्कूल, किलवा डेव तर्फ प्रार्थन पुरुषोत्तम जोशी.....आरोपियों
Process No. 600/2025
पेशी दिनांक 27/09/2025
प्रति:-
(1) मौ शाहद पब्लिक स्कूल, किलवा डेव तर्फ प्रार्थन पुरुषोत्तम जोशी पिता मंगीलाल जोशी
(2) मौ शाहद पब्लिक स्कूल, किलवा डेव तर्फ संघिय श्रीमती रमणी पति पुरुषोत्तम जोशी
पता: दोनो निवासी- किलवा डेव तहसील अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र. छ.पु.-मनी टोल, भगानपूर कॉलोनी अन्तर्गामी मेन रोड समनन 3, 305, इंदौर, जिला इंदौर मध्य प्रदेश

यह कि प्रार्थी संतोष पिता नानुराम जायसवाल पता- प्रगणव डेव, तहसील अंजड़ जिला - बड़वानी म.प्र. ने आपके सिविल धारा 138 परमाध्य लिखत अधिनियम आरोपियों के द्वारा परिवादी को रुपये 50,000/- अक्षरी रुपये चत्तर सय हजार का एक क्रमांक 447481 दिनांक 25.11.2019 एवं रुपये 65,000/- अक्षरी रुपये पैंसठ हजार का एक क्रमांक 177076 दिनांक 25.11.2019 का आरोपीणन की बैंक एक्सस बैंक शाखा इंदौर के खाता क्रमांक 043010100232845 का आरोपीणन द्वारा परिवादी को यह आग्रहसन दिया गया कि आपको उक्त चेकों के माध्यम से राशि भुगतान प्राप्त हो जायेगा। के लिए वाद र्सिथित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन को 30 दिवस के भीतर वाद का अगर देने के लिये उरसंजाला/ हाकिम होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे वकील (अधिवक्ता) द्वारा उरसंजालत हो सकते है, जिसे सम्मक अन्दुश दिये मे हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्षरान कथनी का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्ररिखा का लिखित कसम प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कसम या राशि में है पेश करें जिन पर आपका प्ररिखा या मुजबई का दामा या प्रविदाम आधारित है, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज न चाहे वह आपके कब्जे या राशि में हो अपनी प्ररिखा या मुजरा के दावे या प्रविदाम के सम्बन्ध में साक्ष के रूप में सिंगर करते है तो ऐसे सभी दस्तावेज को लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वालीसूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उरर बातई वह अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निगरकरण मध्यस्थ के माध्यम से रुने के इच्छुक है तो पीअरीन अधिकारी का अवगत करावे। यह आज तारीख 26 August 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर होगा तो आपकी कार्यविधि पर एक प्रकरण को सुनवाई में लिया जाएगा।

(सोशलाल सिसोदिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर जिला बड़वानी म.प्र.

1739 - रुस और तुर्की के बीच ब्रेमेरोड शांति समझौते पर हस्ताक्षर।
1803 - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाये के युद्ध में मराठा सेना को हराया।
1857 - रूसी युद्धपोत लेफर्ट फिनलैंड की खाड़ी में आये भीषण तूफान में गायब हुआ, 826 लोग मारे गए।

नाम परिवर्तन
I CHIRAG ASNANI S/O BHAWANI SHANKAR ASWANI HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME TO CHIRAG ASWANI S/O BHAWANI SHANKAR ASWANI HENCEFORTH, I SHALL BEKNOWN AS CHIRAG ASWANI S/O BHAWANI SHANKAR ASWANI FORALL FUTURE PURPOSES.
ADDRESS: 156, SHAKAR VIHAR GOLD ABHINANDAN COLONY, MANDSAUR, M.P. 458001.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प), संभाग बड़वानी
निविदा सूचना क्र.09/2025-26/
निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है ::

क्र. पोटल क्र. कार्य का नाम आमंत्रण क्र. ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में) अमानत राशि (रु. में) निविदा प्रपत्र की राशि (रु. रुपये में) समयावधि

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2025_PWDRB 451514_pcak1 उपसंभाग बड़वानी अंतर्गत विभिन्न शास. गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर. अंतर्गत मरम्मत कार्य। प्रथम 19.50 390000/- 2000/- 10 माह वर्षावात सहित

2. 2025_PWDRB 451515_pcak1 उपसंभाग बड़वानी अंतर्गत विभिन्न शास. आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर. अंतर्गत मरम्मत कार्य। प्रथम 19.50 390000/- 2000/- 10 माह वर्षावात सहित

निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 30.09.2025 सायं 17.30 तक निर्धारित है। (निविदा प्रपत्र का भुगतान उपरोक्त वेबसाइट पर किया जाना है। अमानत राशि को इलेक्ट्रॉनिक ई.एम.डी. (RTGS, NEFT) के रूप में उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। निविद से संबंधित समस्त वांछित अभिलेख उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड किये जाने होंगे।। तथा उनको भौतिक प्रति प्रस्तुत नहीं किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन यदि हो तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाकर केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यालय यंत्री

लो.नि.वि. (भ/प) संभाग बड़वानी

दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनने की राह पर और भी तेजी से आगे बढ़ायेंगे. व्यापक आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, शाह ने कहा कि ये सुधार न केवल उपभोक्ताओं पर बोझ कम कर रहे हैं, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए अधिक अवसर भी पैदा कर रहे हैं. गृह मंत्री ने कहा, मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लिए ढेरों अवसर खोलकर उनकी आय बढ़ा रही है और जीएसटी में सुधार के जरिए उनकी बचत में लगातार वृद्धि सुनिश्चित कर रही है. उन्होंने कहा, दैनिक आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी से खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी.

नई दरों से निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी : नीतिश

पटना, 22 सितंबर. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के लागू होने से देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ेगा और सभी वर्ग के लोगों, खासकर निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष राहत मिलेगी. कुमार ने एक्स पर लिखा, आज नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं- उन्होंने कहा अब जीएसटी के दो मुख्य स्तर 05 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे.

उन्होंने जीएसटी की दरों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, इस सुधार से पूरे देश के साथ-साथ बिहार के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा.

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल: hfquery@motilaloaswal.com. सौआर्पन संख्या: U65923MH2013PLC248741	
ई-नीलामी राह हिक्की के लिए सार्वजनिक सूचना	
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित। एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटोर/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले एक्सवयर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को "जहाँ है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचना जाएगा। बकाया राशि और ओगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार SARFESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सुरक्षा संपत्ति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ा गया है।	
ई-नीलामी की तिथि और समय: 15-10-2025 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	
सं. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर/ ऋण खाता
1	लोन: LXUUJ00416-170024577 शाखा: उज्जैन उधारकर्ता: अक्कर शाह साहिव हुसैन, सह-उधारकर्ता: सखी इन्द्रावती हुसैन
2	लोन: LXUUD00316-170023096 शाखा: इंदौर उधारकर्ता: ओमेश सोताराम यादव सह-उधारकर्ता: बबिता राई जितेंद्र यादव
3	लोन: LXUUJ00315-160017819 शाखा:उज्जैन उधारकर्ता: इरफान उद्दीन काजी सह-उधारकर्ता: अशिशोक मुद्दीन काजी
05-12-2024 रु. 8,49,989/- (आठ लाख उन्नास हजार नौ सौ नवासी मात्र)	वार्ड क्रमांक: 11 जावहर मार्ग श्री जी लाल के पीछे गिरवी रेलवे क्वार्टर नामदा उमैन 0 0 न्यु बिल् के सामने 456001 उज्जैन मध्य प्रदेश
12-10-2023 रु. 9,36,171/- (नौ लाख छत्तीस हजार एक सौ इकहतर मात्र)	मकान नंबर 157/4, बाणपारा, गली नंबर 2, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001
23-06-2021 रु. 11,33,412/- (ग्यारह लाख तैंतीस हजार चार सौ बारह मात्र)	मकान नंबर - 109, चंबल मार्ग, नामदा, अगर रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 454331
आरक्षित मूल्य: रु. 900000/- (नौ लाख मात्र) अग्रिम जमा: रु. 90000/- (नब्बे हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथि: 14-10-2025	आरक्षित मूल्य: रु. 900000/- (नौ लाख मात्र) अग्रिम जमा: रु. 90000/- (नब्बे हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथि: 14-10-2025
आरक्षित मूल्य: रु. 1,300,000/- (तेरह लाख मात्र) अग्रिम जमा: रु. 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथि: 14-10-2025	आरक्षित मूल्य: रु. 1,300,000/- (तेरह लाख मात्र) अग्रिम जमा: रु. 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार मात्र) अग्रिम जमा की अंतिम तिथि: 14-10-2025

नियम पूर्व शर्तें - 1. नीलामी वाली दस्तावेज के ओगे के नियमों एवं शर्तों और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अगोजित की जाएगी। मोतीलाल वाली संबंधी जानकारी और सहलात, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति और ऑनलाइन जात किंग जाने वाले वाली फॉर्म के लिए हमारे ईमेल सेना प्रकाशन, मेसर्स ARCAEMART PRIVATE LIMITED के वेब पेटेडतः https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक ख़रीदार उसी पेटेड पर नीलामी के नियम व शर्तों और प्रक्रिया देख सकते हैं और मनीकरकर्ता: ओमेश सोताराम यादव - 8108227415, शिवेंद्र सिंह यादव - 9575511158, रवींद्र कुमार सेना - 8976726758, अदितिव माहसूर - 93725055214, शाशिकान्त चव्हेदी - 9372704712, मुंकेशा यादव - 9372704710 से संपर्क कर सकते हैं। विवरण उपर्युक्त वेब पेटेडत पर उपलब्ध है और ये उनके केंद्रीय ईमेल डेस्क से संपर्क कर सकते हैं: + 91 83709 69696, ईमेल आईडी: contact@auctionbazaar.com एलएडी

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 23.09.2025

अनुवाद में मुद्रितया विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
(पहले एक्सवयर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, (निशा डामर), IAS इन्दौर
(अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक- 07)
क्रमांक/302/अकरी/5/2025 प्रकरण क्रमांक/0030/बी-121/25-26
इन्दौर, दिनांक: 19/09/2025

प्रति,
1- श्री अग्निषेक श्रीवास्तव, 2 - श्री जगदीशचंद्र श्रीवास्तव, दोनों का पता:- 357- ए (ईस्ट पार्ट), आलोक नगर. कनार्टका विद्या निकेतन के सामने, ऐराणो नगर इन्दूर स डेड, कनाडिया मेनरोड, बंगाली चौराहे के पास, इंदौर अथवा पता:- पोलोगन बिजनेस सोल्यूसन प्रायवेट लिमिटेड, 12- बीसी सिया पार्क धेनु मार्केट,इंदौर, अन्य पता: प्लाट नंबर 102, विनायक अपार्टमेंट, 30 पदमावती कालोनी,अप्पाल नगर,इंदौर

द्वारा:- पेपर प्रकाशन

--00--
प्राधी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड तर्फ प्राधिकृत अधिकारी,शाखा का पता:- 10/1, एम0जी0 रोड, इंदौर द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति 357- ए (ईस्ट पार्ट), आलोक नगर, कनार्टका विद्या निकेतन के सामने, ऐराणो नगर इन्दूर स डेड, कनाडिया मेनरोड, बंगाली चौराहे के पास, इंदौर कुल क्षेत्रफल 58.08 वर्गमीटर सम्पत्ति के दस्तावेज:- 1 - श्री अग्निषेक श्रीवास्तव, 2 - श्री जगदीशचंद्र श्रीवास्तव के नाम है। चट्टी-सीमा - प्लाट नंबर 356, पश्चिम में:- प्लाट नंबर 357 बी, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- प्लाट नंबर 373 एवं 374 पर बकाया राशि 26,50,752 /- (अक्षरी छब्बीस लाख पचास हजार, सात सौ बावन रुपये मात्र) का चुकाया आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष जी- 07 में दिनांक 30/09/2025 दोपहर 04:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना
निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट

क्र. पोटल क्र. कार्य का नाम आमंत्रण क्र. ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में) अमानत राशि (रु. में) निविदा प्रपत्र की राशि (रु. रुपये में) समयावधि

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2025_PWDRB 451514_pcak1 उपसंभाग बड़वानी अंतर्गत विभिन्न शास. गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर. अंतर्गत मरम्मत कार्य। प्रथम 19.50 390000/- 2000/- 10 माह वर्षावात सहित

2. 2025_PWDRB 451515_pcak1 उपसंभाग बड़वानी अंतर्गत विभिन्न शास. आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर. अंतर्गत मरम्मत कार्य। प्रथम 19.50 390000/- 2000/- 10 माह वर्षावात सहित

निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 30.09.2025 सायं 17.30 तक निर्धारित है। (निविदा प्रपत्र का भुगतान उपरोक्त वेबसाइट पर किया जाना है। अमानत राशि को इलेक्ट्रॉनिक ई.एम.डी. (RTGS, NEFT) के रूप में उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। निविद से संबंधित समस्त वांछित अभिलेख उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड किये जाने होंगे।। तथा उनको भौतिक प्रति प्रस्तुत नहीं किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन यदि हो तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाकर केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यालय यंत्री

लो.नि.वि. (भ/प) संभाग बड़वानी

नई दिल्ली. देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के आर के पुरम सेक्टर आठ की मार्केट में पहुंचे और व्यापारियों से संवाद किया। वैष्णव ने व्यापारियों से बातचीत के दौरान जीएसटी में नये सुधार को लेकर सरकार की मंशा और नीयत को उनके सामने रखा.

नई दिल्ली. देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के आर के पुरम सेक्टर आठ की मार्केट में पहुंचे और व्यापारियों से संवाद किया। वैष्णव ने व्यापारियों से बातचीत के दौरान जीएसटी में नये सुधार को लेकर सरकार की मंशा और नीयत को उनके सामने रखा.

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, (निशा डामर) IAS, इन्दौर
(अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक जी-07)

प्रकरण क्रमांक/ 0032 / बी-121 / 25-26
इन्दौर, दिनांक-19 / 9 / 2025

समाचार विज्ञित
1-श्री नवनीत शाह पिता स्व० श्री एन०के०शाह 2-श्रीमती रजनी शाह पति स्व० श्री एन०के०शाह, दोनों का पता:- 208, स्वास्थ नगर, सुखलिया, भारत पब्लिक स्कूल के पास, इंदौर, म०प्र०

द्वारा:- पेपर प्रकाशन

प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड तर्फ प्राधिकृत अधिकारी, शाखा का पता:- यूनिट नंबर 605-606, ऐरन हाईट्स, छठी मंजिल, प्लाट नंबर 13, विजयनगर, इंदौर, म०प्र० 452010 द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति प्रकोष्ठ क्रमांक 203, द्वितीय मंजिल, सूर्याश आलोक अपार्टमेंट, ब्लॉक बी0 भूखण्ड क्रमांक 416, आलोक नगर, ग्राम खजराना, तहसील एवं जिला इंदौर, म०प्र० कुल क्षेत्रफल 540 वर्गफीट सम्पत्ति के दस्तावेज:- 1-श्री नवनीत शाह पिता स्व० श्री एन०के०शाह 2-श्रीमती रजनी शाह पति स्व० श्री एन०के०शाह के नाम है। -चटुसीमा- पूर्व में-भूखण्ड क्रमांक 396 व 397, पश्चिम में- कौमन पैसेज परचातु प्रकोष्ठ क्रमांक 201, उत्तर में:-भूखण्ड क्रमांक 417, दक्षिण में :- प्रकोष्ठ क्रमांक 202 पर बकाया ऋण राशि 17,19,659 /- (सत्रह लाख, उन्तीस हजार, छसी उनसाठ रुपये मात्र) का चुकाया आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष जी-07 में दिनांक 26 / 09 / 2025 दोपहर 04:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर
इन्दौर दिनांक 19.09.25

क्रमांक/293/अकरी/5/2025

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल: hfquery@motilaloaswal.com. सौआर्पन संख्या: U65923MH2013PLC248741

प्रति,
1- श्री अग्निषेक श्रीवास्तव, 2 - श्री जगदीशचंद्र श्रीवास्तव, दोनों का पता:- 357- ए (ईस्ट पार्ट), आलोक नगर. कनार्टका विद्या निकेतन के सामने, ऐराणो नगर इन्दूर स डेड, कनाडिया मेनरोड, बंगाली चौराहे के पास, इंदौर अथवा पता:- पोलोगन बिजनेस सोल्यूसन प्रायवेट लिमिटेड, 12- बीसी सिया पार्क धेनु मार्केट,इंदौर, अन्य पता: प्लाट नंबर 102, विनायक अपार्टमेंट, 30 पदमावती कालोनी,अप्पाल नगर,इंदौर

द्वारा:- पेपर प्रकाशन

--00--
प्राधी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड तर्फ प्राधिकृत अधिकारी,शाखा का पता:- 10/1, एम0जी0 रोड, इंदौर द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति 357- ए (ईस्ट पार्ट), आलोक नगर, कनार्टका विद्या निकेतन के सामने, ऐराणो नगर इन्दूर स डेड, कनाडिया मेनरोड, बंगाली चौराहे के पास, इंदौर कुल क्षेत्रफल 58.08 वर्गमीटर सम्पत्ति के दस्तावेज:- 1 - श्री अग्निषेक श्रीवास्तव, 2 - श्री जगदीशचंद्र श्रीवास्तव के नाम है। चट्टी-सीमा - प्लाट नंबर 356, पश्चिम में:- प्लाट नंबर 357 बी, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- प्लाट नंबर 373 एवं 374 पर बकाया राशि 26,50,752 /- (अक्षरी छब्बीस लाख पचास हजार, सात सौ बावन रुपये मात्र) का चुकाया आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष जी- 07 में दिनांक 30/09/2025 दोपहर 04:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर (म.प्र.)

नई दिल्ली. देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के आर के पुरम सेक्टर आठ की मार्केट में पहुंचे और व्यापारियों से संवाद किया। वैष्णव ने व्यापारियों से बातचीत के दौरान जीएसटी में नये सुधार को लेकर सरकार की मंशा और नीयत को उनके सामने रखा.

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी, (निशा डामर) IAS, इन्दौर
(अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक जी-07)

प्रकरण क्रमांक/ 0032 / बी-121 / 25-26
इन्दौर, दिनांक-19 / 9 / 2025

समाचार विज्ञित
1-श्री नवनीत शाह पिता स्व० श्री एन०के०शाह 2-श्रीमती रजनी शाह पति स्व० श्री एन०के०शाह, दोनों का पता:- 208, स्वास्थ नगर, सुखलिया, भारत पब्लिक स्कूल के पास, इंदौर, म०प्र०

द्वारा:- पेपर प्रकाशन

प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड तर्फ प्राधिकृत अधिकारी, शाखा का पता:- यूनिट नंबर 605-606, ऐरन हाईट्स, छठी मंजिल, प्लाट नंबर 13, विजयनगर, इंदौर, म०प्र० 452010 द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति प्रकोष्ठ क्रमांक 203, द्वितीय मंजिल, सूर्याश आलोक अपार्टमेंट, ब्लॉक बी0 भूखण्ड क्रमांक 416, आलोक नगर, ग्राम खजराना, तहसील एवं जिला इंदौर, म०प्र० कुल क्षेत्रफल 540 वर्गफीट सम्पत्ति के दस्तावेज:- 1-श्री नवनीत शाह